

कार्यालय कलेक्टर जिला बेमेतरा (छ.ग.)

//आदेश//

क्र./ 840/स्था./अंग्रेजी माध्यम/संविदा भर्ती/आदेश/2020/

बेमेतरा, दिनांक 04.10.2020

छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर के आदेश क्रमांक/एफ 23-08/2020/20-3/7 अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 03.07.2020 के द्वारा दिये गये पद के अनुसार शासकीय शिवलाल राठी उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय बेमेतरा में निम्नांकित पदों का संविदा नियुक्ति निम्नांकित शर्तों पर की जाती है। चयनित अभ्यर्थी शासकीय शिवलाल राठी उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय बेमेतरा में दिनांक 13.10.2020 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं निर्धारित तिथि के बाद आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। संबंधित चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करते समय मूल दस्तावेजों की छायाप्रति प्रस्तुत करेंगे।

क्र.	पद का नाम	विषय	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	पता
1	2	3	4	5	6	7
1	व्याख्याता	हिन्दी	सुधीर कुमार	महेश कुमार	38100	ग्राम कांचरी पो. राजमोहगांव तहसील साजा जिला बेमेतरा छ.ग.
2	व्याख्याता	अंग्रेजी	रश्मि वशिष्ठ	संदीप वशिष्ठ	38100	मकान नम्बर बी 54 एम.जी.एम.स्कूल के पास गायत्री नगर रायपुर छ.ग.
3	व्याख्याता	संस्कृत	डालेश्वरी साहू	मन्नू राम साहू	38100	ग्राम सेमहरबांध पोस्ट भड़सेना तह अम्बागढ़ चौकी राजनांदगांव
4	व्याख्याता	जीव विज्ञान	स्मृति अग्रवाल	आलोक एस. के. अग्रवाल	38100	ई 3/40 पांच फ्लोर चौहान ग्रीन वैली जुनवानी भिलाई
5	व्याख्याता	सामाजिक अध्ययन	निमिषा कौर	सुखेन्द्र सलूजा	38100	वार्ड 10, कोबिया हेलीपैड रोड बेमेतरा
6	सहायक शिक्षक	कला	बरखा ठाकुर	विकास राजपुर	25300	मकान न. 72 साहू पारा बुंदेली सहसपुर साजा जिला बेमेतरा
7	सहायक शिक्षक	कला	रूपल साहू	जामवंत साहू	25300	मोहड़ वार्ड न. 49 राजनादगांव छ.ग.

शर्तें -

1. संविदा नियुक्ति छ.ग.सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन रहेंगे।
2. पद पूर्णतः अस्थायी होंगे। शासन के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय पदच्युत किया जा सकेगा।
3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमित कर्मियों के समान आकस्मिक एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, किन्तु अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महिनों के लिए आनुपातिक आधार पर दिए जावेंगे।

(11)

4. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा ना ही उस पद के विरुद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता/छूट दी जावेगी।
5. अभ्यर्थी का कार्य संतोषप्रद न होने पर एक माह का नोटिस देकर उनकी सेवाएं/प्रतिनियुक्ति समाप्त की जा सकेंगी। नियुक्त व्यक्ति भी एक माह का नोटिस देकर सेवा से त्याग पत्र दे सकता है।
6. चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य किये जायेंगे।
7. भवस्थि में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किए जाने पर यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
8. आपका कार्य व्यवहार एवं परीक्षा परिणाम प्रदर्शन के आधार पर भी आपको पदच्युत किया जा सकेगा।
9. संविदा नियुक्ति छ.ग.सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति पदों पर प्रथम बार तीन वर्ष कालावधि के लिए की जाती है तथापि राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन करने के पश्चात संविदा नियुक्ति की कालावधि एक बार में अधिकतम तीन वर्ष के लिए बढ़ाते हुए संविदा नियुक्ति का नवीनीकरण का निर्णय ले सकेंगे।
10. संविदा नियुक्ति छ.ग.सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के उपनियम (2) के अन्तर्गत उल्लेखित मामलों को छोड़कर संविदा सेवा में सिर्फ एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जावेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।



कलेक्टर
जिला बेमेतरा (छ.ग.)



बेमेतरा, दिनांक 04.10.2020

पृ.क्र./ 841/स्था./अंग्रेजी माध्यम/संविदा भर्ती/आदेश/2020/
प्रतिलिपि-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छ.ग. शासन रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. समस्त संभागायुक्त छ.ग. को सादर सूचनार्थ।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिसर शंकर नगर रायपुर को सादर सूचनार्थ।
7. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा को सूचनार्थ।
9. प्राचार्य, शासकीय शिवलाल राठी उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय बेमेतरा को सूचनार्थ।
10. समस्त चयनित अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/कुमारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।



कलेक्टर
जिला बेमेतरा (छ.ग.)

